REVISED

अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, 22 गोदाम पुलिया के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 14(1)( )आई.सी.पी.एस/बाल तस्करी/मुबाअ/सान्याअवि/13/ 7-7-1 जयपुर, दिनांक 29/5/13

परिपत्र

विषयः– बाल तस्करी (चाईल्ड ट्रैफिकिंग) की रोकथाम हेतु मानक संचालन प्रकिया के क्रियान्वयन के संबंध में।

भारतीय सविंधान बच्चों की खुशहाली के लिए किये जाने वाले कार्यो पर बल देता है। वह बच्चों को साफ सुरक्षित व गरिमामय माहौल में स्वयं के विकास करने के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद–23 जो कि **किसी भी प्रकार के मानव व्यापार विशेषकर बाल व्यापार को प्रतिबंधित करता है।** इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद–15 का खण्ड (3) तथा अनुच्छेद 39 के खण्ड (ड) व (च) में राज्य को यह प्राथमिक दायित्व सौंपे गये हैं कि बच्चों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति की जाये और उनके आधारभूत मानवीय अधिकार पूर्णरूप से संरक्षित करें। बाल तस्करी के रोकथाम हेतु विभिन्न अधिनियमों में बच्चों को परिभाषित करनें हेतु एवं बाल तस्करी की रोकथाम हेतु अधिनियमों में परिभाषित किया गया है जो निम्न हैः–

<u>किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000:–</u>इस अधिनियम के अनुसार किशोर या बालक से अभिप्रेत है– जो 18 वर्ष की उम्र पूर्ण ना किया हों।

<u>बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम1966–</u> इस अधिनियम के अनुसार बच्चे का मतलब ऐसे व्यक्ति से है जिसने अपनी आयु का चौदहवाँ वर्ष पूरा नहीं किया है। यह अधिनियम विनिदिष्ट पेशों एवं प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन को प्रतिबंधित करता है एवं अन्य नियोजनो में कार्य करने वाले बच्चों की सेवा–शर्तो को विनियमित करता है।

<u>बंधुआ मजदूरी प्रथा(उन्मूलन)अधिनियम 1976:–</u> यह अधिनियम बंधुआ मजदूरी की प्रथा को समाप्त करता हैं। यह वयस्क ओर बच्चों दोनों पर लागू हैं।

<u>बच्चों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन (1989)</u>
बच्चों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन का अनुच्छेद 32 के अनुसार बाल श्रम से अभिप्रेत है कोई कार्य जो खतरनाक/जोखिमपूर्ण हो या जो बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करता हो या जो बच्चों के स्वास्थ्य या शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक विकास के लिए हानिकारक हो।

<u>बाल (श्रमिक बन्धक) अधिनियम 1933</u>– इस कानून द्वारा ऐसे समझौते, जो बच्चों को नियोजन के लिए बंधक रखने के उद्येश्य से किए गऐ हों, निषैधित हैं।

<u>कारखाना अधिनियम 1948:–</u> यह कानून 15 वर्ष के बच्चों के कल–कारखानों में नियोजन को निषैधित करता हैं। यद्यपि 14–15 साल की उम्र सीमा के बच्चों को कानून में उल्लेखित नियंत्रण के अर्न्तगत नियोजित किया जा सकता है।

बगान श्रमिक अधिनियम 1951:– इस कानून के अन्तर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाग–बगीचों में नियोजन निषैधित हैं।

खान अधिनियम 1952:– यह कानून 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का ऐसे कार्यों में, जहाँ खनिज पदार्थ की खोज एवं प्राप्ति के लिए उत्खनन कार्य किया जाता है, नियोजन को निषैधित करता है। यह जमीन के अंदर तथा खुले खान में बच्चों के नियोजन को भी निषैधित करता है।

मोटर परिवहन अधिनियम 1961:– यह कानून परिवहन सम्बन्धित कार्य में बच्चों के नियोजन को निषैधित करता है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 370 में मानव तस्करी (जिसमें महिला एवं बच्चे भी सम्मिलित है) को निम्नानुसार परिभाषित किया है :–

"धमकी अथवा बल प्रयोग अथवा किसी प्रकार का नियंत्रण या जबरदस्ती अथवा अपहरण अथवा छल अथवा धोखे से अथवा शक्ति का दुर्रपयोग करके अथवा किसी की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर अथवा व्यक्ति की सहमति को प्राप्त करने के लिए भुगतान करके या लेकर अथवा किसी अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण करके शोषण के लिए व्यक्तियों का नियोजन, परिवहन, स्थानान्तरण, प्राप्ति या बंधक बनाना मानव तस्करी है। शोषण के अंतर्गत वैश्यावृति के लिए अथवा अन्य प्रकार का लैगिंक शोषण, श्रम, अन्य किसी प्रकार का शारीरिक श्रम, दासत्व या उसी प्रकार की गुलामी जैसी स्थितियां एवं मानव अंगों को निकलना संम्मिलित है। इसमें पीड़ित व्यक्ति की सहमति भी अप्रांसगिक मानी गई है।"

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में 18 वर्ष से कम उम्र के बालक– बालिकाओं की तस्करी से रोकथाम, मुक्ति, संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु सभी सम्बन्धितों के लिये मानक संचालन प्रकिया (एस.ओ.पी.) निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

पुलिस विभाग (मानव तस्करी विरोधी यूनिट/विशेष किशोर पुलिस इकाई/विशेष पुलिस अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी) –

1. स्थानीय क्षेत्र में मानव तस्करी के संभावित स्थानों की पहचान की जाकर उन पर सतत निगरानी सुनिश्चित की जायेगी। इन स्थानों में मुख्यतः होटल, गेस्ट, ब्यूटीपार्लर, मसाज पार्लर, ब्रोथल, रेड लाईट एरिया, फ्रेन्ड्स क्लब, टयूरिस्ट सर्किट, ट्रेवल एजेंसियां, बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, निजी वाहन स्टेण्ड, कारखानों, ईट भट्टे, ढाबे इत्यादि।
2. रेल्वे सुरक्षा बल एवं जीआरपी पुलिस, रेल्वे स्टेशनों पर स्थापित पुलिस सहायता बूथ/चाईल्ड अस्सिटेन्ट बूथ के सहयोग से बाल तस्करी की रोकथाम के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
3. बाल तस्करी की सूचना मिलने पर तत्काल मानव तस्करी विरोधी यूनिट, स्वयं सेवी संस्थाओं, चाईल्ड लाईन एवं बाल कल्याण समिति एवं स्थानीय पुलिस द्वारा सकियता, संवेदनशीलता एवं गोपनीयता से भाग लिया जायेगा एवं आवश्यकतानुसार फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी की जायेगी।
4. मुक्त कराये गये बच्चों को विश्वास में लेकर बाल विशेषज्ञों/द्विभाषियों का सहयोग लेकर पूरे प्रकरण एवं लिप्त व्यक्तियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जायेगी।
5. अनैतिक कार्यों के लिए अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत आने वाली बालिकाओं को दोषी माने जाने के स्थान पर उन्हें गरिमा के साथ देखभाल एवं संरक्षण की

आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में रखकर बाल कल्याण समिति के माध्यम से पुनर्स्थापित किया जायेगा।

6. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित मिसिंग एवं फाउण्ड चाइल्ड टैकिंग वेबसाइट www.trackthemissingchild.gov.in एवं जिपनेट वेबसाइट पर पुलिस को प्राप्त होने वाले बालक–बालिका का डाटा तत्काल संधारण किया जावें।
7. बाल तस्करी से मुक्त कराये गये प्रत्येक बच्चे को 24 घण्टे के भीतर संबंधित बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ताकि उसके पुर्नवास संबंधी कार्यवाही की जा सके।
8. यदि मुक्त कराने की कार्यवाही के दौरान पीडित महिलाओं को भी उचित पुर्नवास हेतु संबंधित प्राधिकारी के सहयोग से निर्धारित स्थान (महिला सदन/नारी निकेतन) पर पहुंचाया जायेगा।
9. बाल तस्करी करने में नियोजित संबंधित व्यक्ति/नियोक्ता/दलाल एवं इस तस्करी में सहयोग करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध बिना किसी देरी के भारतीय दण्ड संहिता की प्रांसगिक धाराओं मुख्यतः 34, 120बी, 344, 363, 366, 370, 370(4), 370(5), 370ए, 374 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 23, 26 एवं लैगिंक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 16 तथा आईपीटीए, एनडीपीएस एक्ट, यूएपीए एवं अन्य प्रांसगिंक अधिनियम एवं धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दोषियों को गिरफ्तार किया जायेगा।
10. वैश्यावृति, अन्य अनैतिक कार्यों एवं बाल श्रम के उपयोग लाये जा रहे संस्थान/भवन/कारखाने का नियमानुसार पंजीयन निरस्तीकरण एवं संस्थान को सीज करने संबंधी कार्यवाही की जायेगी।
11. पुलिस पीडित बच्चों के सीआरपीसी 161 के तहत बच्चे के बयान उसकी इच्छित स्थान पर लिये जायेंगे।
12. आवश्यकतानुसार पीडित बच्चों के संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी 164 के तहत बयान दर्ज किये जायेंगे।
13. बच्चों के साथ कार्यवाही के दौरान पुलिस महानिदेशक के आदेश कमांक प–6(27) पु.अ./म.अ. नि.प्र./सान्याअवि/09/2185–2260 दिनांक 30 अप्रैल, 2012 से जारी दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
14. पीडित बच्चों को राजस्थान पीडित प्रतिकार योजना, 2011 एवं अनुसूचित जाति–जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के तहत मुआवजा दिलाया जाने संबंधी कार्यवाही की जायेगी।
15. बाल तस्करी के मामलों की जांच अधिकतम एक माह में पूरी की जाकर चालान संबंधित जिला एंव सत्र न्यायालय (बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 25 के तहत अधिकृत विशेष न्यायालय) को प्रेषित किया जायेगा।
16. बाल श्रम के लिए बच्चों की तस्करी के संबंध में आदेश विभाग के कमांक 60363 दिनांक 21.08.12 से बाल श्रम के संबंध में जारी मानक संचालन प्रकिया के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।
17. बाल भिक्षावृति की रोकथाम के संबंध में विभाग के आदेश कमांक 11143 दिनांक 05.02.13 से जारी मानक संचालन प्रकिया के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।
18. पुलिस महानिरीक्षक (मानवाधिकार) एवं नोडल अधिकारी, मानव तस्करी विरोधी यूनिट द्वारा त्रैमासिक स्तर पर बाल तस्करी को रोकने के संबंध में की गई कार्यवाही का विस्तृत विवरण की एकजाई रिपोर्ट बाल तस्करी, बाल श्रम, बाल भिक्षावृति पर गठित राज्य स्तरीय टास्क फोर्स को प्रस्तुत की जायेगी।
19. राज्य सरकार एवं पुलिस विभाग द्वारा अधिनियम/नियमों के प्रावधानों/विभिन्न दिशा– निर्देशों आदि के कियान्वयन की मासिक स्तर पर समीक्षा कर बाल तस्करी की रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करेंगे। पुलिस थानों पर स्थापित महिला एवं बाल हैल्प डेस्क का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जायेगा।

श्रम विभाग

1. संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित रूप से बाल श्रमिकों की पहचान की जायेगी तथा लक्ष्य आधारित मापदण्ड निर्धारित कर बाल श्रमिकों को मुक्त कराया जायेगा।
2. बाल तस्करी पीडित बच्चों के श्रमिक होने पर बाल श्रम (प्रतिबंधित एवं नियोजन) अधिनियम, 1986 के तहत कार्यवाही एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पीटीशन 4677/1985 एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडू राज्य के मामले में दिनांक 10.12.2006 में दिये आदेशानुसार बच्चों के पुर्नवास हेतु 20,000से 25,000 तक मुआवजा उपलब्ध कराया जायेगा।
3. बाल श्रमिक नियोजनकर्ताओं के विरुद्ध बाल श्रम (प्रतिबंधित एवं नियोजन) अधिनियम, 1986 की धारा 3 एवं 14, न्यूनतम मजदूरी एवं समान परिश्रमिक अधिनियम 1948, कारखाना अधिनियम 1948, मोटर परिवहन अधिनियम 1961, अर्न्तराज्यीय श्रमिक अधिनियम 1979 की धारा 25, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 की धारा 16, 17, 18, 19, 20 एवं 23, खान अधिनियम एवं ठेका श्रमिक प्रतिबन्ध एवं विनियम अधिनियम एवं अन्य श्रम अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।
4. मुक्त कराये गये बच्चों की तस्करी का पता लगने पर संबंधित पुलिस थाने/मानव तस्करी विरोधी यूनिट को सूचित किया जायेगा।
5. पीड़ित बाल श्रमिकों को 24 घण्टे के भीतर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
6. श्रम अधिकारी द्वारा मासिक प्रगति रिपोर्ट जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई को दी जायेगी।

जिला बाल सरंक्षण इकाई (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

1. बाल तस्करी के संभावित/पीडित बच्चों के संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए समिति के आदेश से अधिनियम के अर्न्तगत पंजिकृत राजकीय/स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित बाल गृह में प्रवेशित कराकर आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेगी।
2. मुक्त कराये गये बच्चे, जिनका कोई परिवार नहीं हो, को पंजिकृत राजकीय/ स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित बाल गृह के जरिये देखरेख सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
3. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित मिसिंग चाइल्ड टैकिंग वेबसाइट www.trackthemissingchild.gov.in/trackchild/index.php पर गृहों में प्राप्त बालक–बालिका का डाटा तत्काल संधारण किया जाकर अग्रिम कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।
4. उपखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियों के माध्यम से बाल तस्करी एवं बच्चों के पलायन पर विशेष निगरानी की जायेगी। ऐसे बच्चे जिनकी तस्करी या बडे स्तर पर पलायन की सम्भावना है उनकी तत्काल सूचना संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट/जिला बाल संरक्षण इकाई को दी जायेगी।
5. जिला कार्ययोजना में बाल तस्करी की रोकथाम एवं इससे पीडित बच्चों को मुक्त कराने के संबंध में विभिन्न विभागों के सहयोग से सतत कार्यवाही की जायेगी।
6. सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई ऐसे बच्चों के संरक्षण एवं पुर्नवास के संबंध में किये गये कार्यों की मासिक प्रगति रिपोर्ट जिला कलक्टर एवं राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी को दी जायेगी।

बाल कल्याण समिति

1. बाल तस्करी की सूचना/शिकायत मिलने पर उनको मुक्त कराने के लिए तत्काल मानव तस्करी विरोधी यूनिट/स्थानीय पुलिस को निर्देशित करेगी।

2. बाल तस्करी के संभावित/पीडित बच्चों को मुक्त कराने की कार्यवाही के दौरान चाइल्ड लाईन सेवा (1098) एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी उपस्थित रहने तथा आवश्यकतानुसार सहयोग करने हेतु निर्देशित किया जायेगा।
3. मानव तस्करी विरोधी यूनिट द्वारा छापेमारी कार्यवाही की जाने की कार्यवाही के दौरान समिति के एक सदस्य उपस्थित रहेंगे।
4. मुक्त कराये गये बच्चो का संरक्षण पुलिस से अपने पास लेकर उनके अस्थाई आश्रय/चिकित्सा सुविधा/काउंसलिंग/विधिक सहायता एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।
5. समिति नियमानुसार मामले की जॉच एवं निस्तारण हेतु बच्चों की सामाजिक पृष्टभूमि रिपोर्ट तैयार कर उनके समुचित पुर्नवास सुनिश्चित करेगी।
6. बच्चों के पुर्नवास के लिए सम्बन्धित जिले की बाल कल्याण समिति/जिला प्रशासन एवं उनके परिजनों से समन्वय स्थापित कर पुर्नवास कार्यवाही की जायेगी। आवश्यकतानुसार स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जा सकेगा।
7. समिति प्रकरण में प्रसंज्ञान लेते हुए बाल तस्करी के दोषियों के विरूद्ध विभिन्न अधिनियमों एवं आई.पी.सी. की धाराओं में पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आदेशित करेगी।
8. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित मिसिंग चाइल्ड टैकिंग वेबसाइट www.trackthemissingchild.gov.in/trackchild/index.php पर समिति के समक्ष प्राप्त बालक–बालिका का डाटा तत्काल संधारण किया जाकर अग्रिम कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।
9. समिति के समक्ष आने वाले पीडित बच्चों को आवश्यकतानुसार निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।
10. पीडित बच्चों को राजस्थान पीडित प्रतिकार योजना, 2011 एवं अनुसूचित जाति–जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के तहत मुआवजा दिलाया जाने संबंधी कार्यवाही की जायेगी।
11. अन्य राज्यों एवं अन्य देशों के पीडित बच्चों के पुर्नवास हेतु संबंधित राज्य/देश की सरकारों/बाल कल्याण समिति से समन्वय स्थापित किया जायेगा।
12. समिति द्वारा की गई कार्यवाही की मासिक प्रगति रिपोर्ट जिला बाल संरक्षण इकाई एवं राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी को उपलब्ध कराई जायेगी।

महिला एवं बाल विकास विभाग

1. बाल तस्करी मुख्यतः वैश्यावृति, अन्य अनैतिक कार्यों में लिप्त महिलाओं एवं बालिकाओं की पहचान कर उनकी महिला समिति, प्रचेता, साथिन, आशा सहयोगिनी के सहयोग से आवश्यक कांउसलिंग उपलब्ध करायी जायेगी ताकि उनको इस पेशे से दूर कराया जा सकें।
2. ऐसी महिलाओं एवं बालिकाओं को विभागीय गतिविधियों/कार्यक्रमों से जोडा जा कर आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
3. ऐसी बालिकाओं को सबला योजना से जोडा जाकर उन्हें व्यवसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा।
4. जिलों में कार्यरत महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्रों के माध्यम से भी बाल तस्करी के पीडित बच्चों को आवश्यक काउंसलिंग एवं विधिक सेवा उपलब्ध करायी जायेगी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

1. छापे के दौरान मुक्त कराये गये बच्चों का बाल कल्याण समिति/जिला प्रशासन के आदेश से मारपीट/आयु निर्धारण/बलात्कार सम्बधी का चिकित्सीय परीक्षण किया जावेगा तथा सूचना सम्बन्धितों को उपलब्ध करायी जायेगी।

2. जहां आवश्यकता होगी, बच्चों को तुरन्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
3. बच्चों के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परीक्षण में आने वाला खर्च विभाग के स्वयं के स्तर से किया जायेगा।

जिला प्रशासन

1. जिला प्रशासन द्वारा बाल तस्करी के संभावित शिकार बच्चों की पहचान की जाकर उनके पुर्नवास संबंधी कार्यवाही की जायेगी ताकि बच्चों की तस्करी पर नियंत्रण किया जा सके।
2. सभी बच्चों का विद्यालयों से जुडाव एवं ठहराव सुनिश्चित किया जावे। इसकी निगरानी हेतु शाला प्रबंधन समितियों को सम्मिलित किया जायेगा।
3. बाल तस्करी के पीडित बच्चों को मुक्त कराने की कार्यवाही में आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा।
4. प्रत्येक मुक्त कराये गये बाल श्रमिक के सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/उपखण्ड मजिस्ट्रेट के माध्यम से बयान दर्ज किया जाकर सुनिश्चित किया जायेगा कि वह बाल श्रमिक बंधक श्रमिक तो नहीं है। उक्त के अनुरूप नियोजनकर्ताओं के खिलाफ बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, 1976 की धारा 3 के तहत कार्यवाही किं जायेगी तथा बाल श्रमिकों को नियमानुसार पुनर्वासित किया जायेगा।
5. रेलवे प्रशासन, परिवहन आदि विभागों सें समन्वय स्थापित कर बाल तस्करी के पीडित बच्चों के संरक्षण एवं पुनर्वास के सम्बन्ध में सहायता ली जायेगी।
6. जिले में मानव तस्करी की पीडित महिलाओं एवं बालिकाओं हेतु उज्जवला योजना को प्रभावी रूप से कियान्वित किया जायेगा।
7. बच्चों की तस्करी के संबंध में विभाग के आदेश कमांक 60363 दिनांक 21.08.12 एवं बाल भिक्षावृति की रोकथाम के संबंध में विभाग के आदेश कमांक 11143 दिनांक 05.02.13 से जारी मानक संचालन प्रकिया के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

गृह विभाग (लोक अभियोजक/पीडित के अधिवक्ता)

1. बाल तस्करी करने में नियोजित संबंधित व्यक्ति/नियोक्ता/दलाल एवं इस तस्करी में सहयोग करने वाले व्यक्तियों के जमानत संबंधी प्रार्थना पत्र माननीय न्यांयलय के समक्ष विचारण के लिए प्रस्तुत होगें तब इसका पुरजोर विरोध किया जायेगा।
2. ऐसे व्यक्तियों/नियोक्ता/दलाल से अग्रिम पूछताछ के लिए इनकी पुलिस कस्टडी की मांग की जायेगी तथा संबंधीत जॉच अधिकारी को समस्त विधिक सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा।
3. माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने चालान में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति तथा अन्य आवश्यक तथ्य जोडने हेतु पुलिस को अवगत कराया जायेगा।
4. प्रकरणो में माननीय न्यायलय के समक्ष पीडित बच्चों के पुर्नवास एवं अन्य आवश्यक मागें रखी जायेगी।

जिला स्तर पर सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी/मजिस्ट्रेट इसके लिए उत्तरदायी एवं जवाबदेह होगें। इसे प्राथमिकता प्रदान करें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सी.के.मैथ्यू) २५/५/१५
मुख्य सचिव

क्रमांक : एफ 14(1)( )आई.सी.पी.एस/बाल श्र/मुबाअ/सान्याअवि/12/772-845 जयपुर, दिनांक 21/05/2013

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थः–

1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3 अतिरिक्त मुख्य सचिव, विकास/गृह/ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4 प्रमुख शासन सचिव, श्रम/विधि/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/स्कूल शिक्षा/राजस्व/ महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी एवं आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अम्बेडकर भवन, जयपुर।
6 सचिव, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, 2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर।
7 सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण, राज. उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर को सूचनार्थ।
8 पुलिस महानिदेशक, राजस्थान पुलिस, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
9 निदेशक, अभियोजन, गृह विभाग, जयपुर।
10 समस्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, ...।
11 समस्त अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति..।
12 संभागीय आयुक्त, जयपुर/ जोधपुर/ अजमेर/ बीकानेर/ भरतपुर/ उदयपुर/ कोटा।
13 समस्त जिला कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई।
14 पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
15 समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट..।
16 समस्त पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त,.............................राजस्थान पुलिस को पालनार्थ।
17 समस्त प्रभारी, मानव तस्करी विरोधी यूनिट .... को पालनार्थ।
18 समस्त सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई.................................... को पालनार्थ।
19 समस्त जिलाधिकारी, श्रम विभाग.................................. को पालनार्थ।
20 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी.................................को पालनार्थ।
21 समस्त जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी................................ को पालनार्थ।
22 समस्त, अध्यक्ष, उपखण्ड/ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति।
23 समस्त गृह अधीक्षक/अध्यक्ष/सचिव, स्वयंसेवी संस्था...।
24 समस्त समन्वयक, चाईल्ड लाईन...।
25 आदेश पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव

25/5/13